समाहरणालय मधेपुरा।

(जिला आपूर्ति शाखा)

आदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अन्तर्गत पूर्विकता प्राप्त श्रेणी के व्यक्तियों हेतु (अन्त्योदय योजना के लाभुको को छोड़कर) माह मार्च 2014 से खाद्यान्न का आवंटन।

प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–1667/खाद्य,पटना दिनांक 04.03.2014 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के व्यक्तियों हेतु प्रति व्यक्ति 02 (दो) किलोग्राम गेहूँ एवं 03 (तीन) किलोग्राम चावल की दर से माह मार्च 2014 से कुल 29656.72 क्वी0 गेहूँ 44485.08 क्वी0 चावल मुहैय्या कराया गया है,जिसे पूर्वीकता प्राप्त श्रेणी के व्यक्तियों को जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से उठाव/वितरण हेतु संलग्न तालिका के अनुसार उपावंटित किया जाता है। सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में 2 किलोग्राम गेहूँ एवं 3 किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति की दर से प्रखंडवार खाद्यान्न का मासिक आवंटन माह–मार्च,2014 से किया गया है। भारत सरकार द्वारा उठाव की तिथि 04.03.2014 से 50 दिनों तक निर्धारित की गई है। शेष माहों के लिए उठाव की अवधि आवंटन माह के पूर्ववर्ती माह की पहली तिथि से आवंटन माह की 20वीं तिथि तक रहेगा। उल्लेखनीय है कि अन्त्योदय योजना अन्तर्गत लाभुकों को पूर्व की भांति ही खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती रहेगी और इस आवंटन से मात्र पूर्वीकता प्राप्त श्रेणी के व्यक्तियों को ही लाभान्वित किया जाएगा।

माह–मार्च,2014 में खाद्यान्नों का वितरण पूर्वीकता प्राप्त श्रेणी के व्यक्तियों के बीच किया जाना निर्धारित है। अतएव सभी संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि उनके क्षेत्र में पड़ने वाले जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से आवंटन माह के पूर्ववर्ती माह के 10वीं तारीख तक खाद्यान्न की राशि राज्य खाद्य निगम के खाता में आर0टी0जी0एस0 /एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से जमा करायेंगे तथा ससमय खाद्यान्न का उठाव कराकर लाभुकों के बीच शत प्रतिशत वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को पूर्वीकता प्राप्त श्रेणी के व्यक्तियों की पारिवारिक सूची उपलब्ध कराई जा चुकी है और राशन कार्ड कार्ड का भी वितरण किया गया है। इस लिये संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अन्त्योदय परिवार के सदस्यों को हटाकर शेष परिवारों के बीच वितरण सूची/राशन कार्ड के आधार पर नियमानुसार वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी विक्रेता के खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण पर कड़ी निगरानी रखेंगे। उठाव एवं वितरण संबंधी उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में अगले माह के प्रथम सप्ताह तक जिला आपूर्ति कार्यालय में निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक............128......./आ0,मधेपुरा,दिनांक 21.3.14

प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी,मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/3/14

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत पूर्वीकता प्राप्त श्रेणी के व्यक्तियों हेतु (अन्त्योदय योजना के लाभुकों को छोड़कर) माह–मार्च,2014 से खाद्यान्न का मासिक उपावंटनः–

क्र0	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	पूर्विकताप्राप्त परिवारों की संख्याँ	पूर्विकता प्राप्त सदस्यों की संख्याँ	अनुमान्य मात्रा(गेहूँ 2 kg प्रति व्यक्ति चावल 3 kg प्रति व्यक्ति) (क्वीं0 में)		उपावंटित मात्रा (क्वी में)		अभ्युक्ति
				गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	मधेपुरा प्रखण्ड	33501	138602	2772.04	4158.06	2627.70	3941.55	
02	मधेपुरा नगर परिषद	9235	37613	752.26	1128.39	714.64	1071.96	
03	घैलाढ़	13845	65340	1306.80	1960.20	1238.76	1858.14	
04	सिंहेश्वर	27419	111694	2233.88	3350.82	2117.56	3176.34	
05	गम्हरिया	13840	59587	1191.74	1787.61	1129.70	1694.55	
06	शंकरपुर	19454	80813	1616.26	2424.39	1532.10	2298.15	
07	मुरलीगंज	34538	155817	3116.34	4674.51	2954.08	4431.12	
08	मुरलीगंज नगर पं0	5214	22386	447.72	671.58	425.32	637.98	
09	कुमारखण्ड	48839	187748	3754.96	5632.44	3559.44	5339.16	
10	आलमनगर	36775	149347	2986.94	4480.41	2831.42	4247.13	
11	बिहारीगंज	24179	100620	2012.40	3018.60	1907.62	2861.43	
12	ग्वालपाड़ा	25329	98420	1968.40	2952.60	1865.90	2798.85	
13	उदाकिशुनगंज	33581	145798	2915.96	4373.94	2764.12	4146.18	
14	चौसा	24274	121184	2423.68	3635.52	2297.48	3446.22	
15	पुरैनी	18667	85820	1716.40	2574.60	1627.02	2440.53	
	योगः–	368690	1560789	31215.78	46823.67	29592.86	44389.29	

24/3/14

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत आने वाले पूर्विकता प्राप्त परिवारों एवं पूर्विकता प्राप्त सदस्यों की संख्या से संबंधित प्रतिवेदन।

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	पूर्विकता प्राप्त परिवारों की संख्या।	अन्त्योदय परिवारों की सं	शुद्ध पूर्विकता प्राप्त परिवारों की सख्या।	पूर्विकता प्राप्त परिवारों के सदस्यों की संख्या।	अन्त्योदय परिवारों के सदस्यों की संख्या।	शुद्ध पूर्विकता प्राप्त परिवार के सदस्यों की संख्या।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मधेपुरा।	33501	3903	29598	158117	19515	138602
2	मधेपुरा न०प०	9235	1757	7478	46398	8785	37613
3	सिहेंश्वर	27419	2658	24761	124984	13290	111694
4	शंकरपुर	19454	2147	17307	91548	10735	80813
5	गमहरिया	13840	1701	12139	68092	8505	59587
6	घैलाढ़	13845	1914	11931	74910	9570	65340
7	मुरलीगंज	34538	3705	30833	174342	18525	155817
8	मुरलीगंज न०पं०	5214	860	4354	26686	4300	22386
9	कुमारखण्ड	48839	4895	43944	212223	24475	187748
10	ग्वालपाड़ा	25329	2485	22844	110845	12425	98420
11	बिहारीगंज	24179	2649	21530	113865	13245	100620
12	उदाकिशुनगंज	33581	3576	30005	163678	17880	145798
13	पुरैनी	18667	2023	16644	95935	10115	85820
14	चौसा	24274	3034	21240	136354	15170	121184
15	आलमनगर	36775	3367	33408	166182	16835	149347
	योगः–	**368690**	**40674**	**328016**	**1764159**	**203370**	**1560789**

24/03/14

जिलाधिकारी

मधेपुरा।